न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 66/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– श्रीमती अमरीदेवी पत्नी करनाराम 2– हंसराज उर्फ हंसलाराम पुत्र करनाराम 3– ओमाराम पुत्र करनाराम 4– हरीराम पुत्र करनाराम 5– रामरतन पुत्र करनाराम समस्त जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम बिनायकपुरा भवाद तहसील बावडी जिला जोधपुर 6– श्रीमती परमेश्वरी पुत्र करनाराम पत्नी बुद्धाराम विश्नोई निवासी ग्राम जाजीवाल विश्नोईयान तहसील व जिला जोधपुर 7– श्रीमती सुमित्रा पुत्री करनाराम पत्नी ओमाराम जाति विश्नोई निवासी ग्रम जुड तहसील तिंवरी जिला जोधपुर 8– श्रीमती सुआदेवी पुत्री मंगलाराम पत्नी नारायणराम जाति विश्नोई निवासी बी ढाणी सांचौर जिला जालोर		1– राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बावडी तहसील बावडी जिला जोधपुर 2– चैनाराम पुत्र स्व0 खानूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम विनायकपुरा भवाद तहसील बावडी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर जो राजस्व अपील संख्या 28/2020 अनवान श्रीमती अमरीदेवी वगैरा बनाम सरकार मे दिनांक 9–12–2020 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री सोमेन्द्र गहलोत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री बुद्धाराम गोदाराम अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।
3–श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 20–7–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भवाद की ओर से तहसीलदार बावडी के समक्ष ग्राम विनायकपुरा के खसरा नंबर 742/570 रकबा 0.06 बीघा गै0मु0रास्ता की भूमि पर अपीलांटगण द्वारा राजकीय भूमि पर अवैद्य कब्जा करने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की । जिस पर तहसीलदार बावडी के न्यायालय मे प्रकरण संख्या 3/2020 दर्ज कर अतिक्रमियो (वर्तमान अपीलांटगण) को नोटिस जारी किये गये तथा वर्तमान अपीलांटगण की ओर से तहसीलदार बावडी के समक्ष जवाब पेश किया गया तथा नायब तहसीलदार बावडी ने उनके आदेश दिनांक 12–10–2020 के द्वारा अप्रार्थी (वर्तमान अपीलांटगण) को राजकीय भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने तथा पडौसी खातेदारी भूमि के वार्षिक लगान के 50 गुणा जुर्माने से दंडित

अति० सम्भागीय आयुक्त

किया जाने बाबत आदेश पारित किया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की । उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–12–2020 के द्वारा खारीज कर दी जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को ही अपनी बहस का अंग सुमार करते हुए मुख्य रूप से अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर के समक्ष दिनांक 2–12–20 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जो कि प्रार्थी सूरताराम पुत्र आईदानराम जाति विश्नोई निवासी विनायकपुरा तहसील भवाद द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा दिनांक 7–12–20 को एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत वादग्रस्त भूमि के मौके की रिपोर्ट मंगवाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया था । उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो को निर्णित किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील मे फार्म नंबर 3 के सलंग्न अपीलांटगण ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये थे, अधीनस्थ न्यायालय ने उन दस्तावेजो का अध्ययन कर उन पर गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए अपीलांटगण की वर्तमान द्वितीय अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट की उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है तथा इस संबंध मे अपीलांट अधिवक्ता ने बहस के दौरान दिनांक 11–1–2021 की मौका एवं बेदखली रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की तथा कथन किया कि उक्त रिपोर्ट नायब तहसीलदार बावडी के प्रकरण संख्या 3/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 12–10–2020 की अनुपालना मे ग्राम विनायकपुरा के खसरा नंबर 742/570 रकबा 6 बिस्वा गै0मु0रास्ता पर अतिक्रमण हटाने के आदेश द्वारा गठित टीम मय पुलिस

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जाब्ता एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार बावडी की उपस्थिति मे मौके पर पंहुचे। मौके पर सीमांकन कर रास्ता राजस्व टीम द्वारा चिन्हित किया गया । रास्ते की भूमि मौके पर गेहूँ की फसल अतिक्रमी द्वारा बोही हुई थी जो शिशु अवस्था मे थी एवं पूर्व दिशा मे रास्ते के अंतिम छोर पर एक चदर का शेड डालकर उसके नीचे पशुओ का चारा (कुतर) डाली हुई थी, अतिक्रमियो के परिवार के सदस्य मौके पर मौजुद थे जिन्हे पुनः समझााईश की गई कि वे रास्ते की भूमि मे अतिक्रमण बावजुद मनाही के जो किया है, उसको स्वेच्छा से हटा ले परंतु उन्हे उक्त सामग्री हटाने से मना कर दिया एवं रास्ता खोलने के लिए जे.सी.बी. द्वारा अतिक्रमण हटा कर रास्ता आवागमन के योग्य बनाया गया । जब पूर्वी छोर पर बने छपरे तक अतिक्रमण हटाते हुए पंहुचे तब अतिकमियो के परिवार के सदस्य पुरूष एवं महिलाओ द्वारा विरोध करके राजकीय कार्य मे बाधा डाली । तब सी.आई करवड द्वारा अन्य पुलिस जाप्ता मे आया एवं जाप्ते की महिला कान्स्ट्रेबल ने महिलाओ को समझाईश करके दूर हटाया एवं पुरूष पुलिस अधिकारियो व कर्मचारियो ने पुरूषो को समझाइश करके मौके से हटाया । अतिक्रमण मे काम मे ली गई सामग्री चदरे, पत्थर, पट्टियो के टुकडे रास्ते के क्षेत्र से हटाकर एक साईड मे अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे रख दिये गये एवं रास्ता चालू करवाया गया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने इसकी पुष्टि स्वरूप जमाबंदी संवत 2074-2077 पेश की जिसमे उक्त अपीलाधीन खसरा नंबर 742/570 की भूमि गै0मु0रास्ता के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है ।

अंत मे वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने अपीलांटगण की उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है तो खारीज करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को यथावत रखने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ दोनो न्यायालयो की पत्रावलियों मे उपलब्ध दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9-12-2020 का तथा वकील रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दिनांक 11-1-2021 की मौका एवं बेदखली रिपोर्ट की छायाप्रति का भी अध्ययन किया । अपीलांट अधिवक्ता का बहस मे मुख्य कथन यह भी रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 2-12-20 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का तथा दिनांक 7-12-20 को एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को निर्णित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 के प्रथम एवं दूसरे पैरां मे उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलांट का यह कथन रेकर्ड अनुसार सही नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा रेस्पो0 संख्या 2 ने दिनांक 11–1–2021 की मौका एवं बेदखली रिपोर्ट की छायाप्रति का अध्ययन करने पर उक्त रिपोर्ट नायब तहसीलदार बावडी के प्रकरण संख्या 3/2020 में पारित निर्णय दिनांक 12–10–2020 की अनुपालना में मौके पर से खसरा नंबर 742/570 किस्म गै0मु0रास्ते की भूमि से अपीलांटगण को बेदखल कर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है अथार्त नायब तहसीलदार बावडी के आदेश दिनांक 12–10–2020 की पालना भी हो चुकी है, ऐसे मे अपीलांट की उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–12–2020 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण की उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20–7–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर